आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्याः 156/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

बैंक ऑफ बडोदा, पॉवर हाउस रोड, जयपुर।

प्रार्थी
वितिय बैंक

बनाम

1. मैसर्स ग्रीन टीक (इंडिया), प्रा० लि०,
   पता :– जी–718, रोड नम्बर 9, एफ–3, रिको इन्डस्ट्रियल एरिया, वीकेआई, जयपुर।
2. श्रीमती मोहिनी देवी पत्नी श्री मालचन्द जैन,
3. श्री सुमेर चन्द जैन पुत्र श्री गेंदा लाल जैन,
4. श्री विनोद कुमार जैन पुत्र श्री गेंदा लाल जैन,
5. श्रीमती संगीता देवी पत्नी श्री विनोद कुमार जैन,
   पता :– 11, उगम पथ, बनीपार्क, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002

उपस्थित :– बैंक प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश **दिनांक : 12.08.2022**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक 20.12.2014 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मैसर्स ग्रीन टीक (इंडिया), प्रा० लि० के स्वामित्व की फैक्ट्री भूमि व भवन सम्पत्ति जी–718, रोड नम्बर 9, एफ–3, रिको इन्डस्ट्रियल एरिया, वीकेआई, जयपुर क्षेत्रफल 3780.29 वर्गमीटर को बन्धक रख कर राशि 7,22,50,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 02.02.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को 7,22,50,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थी का ऋण खाता एन. पी. ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज 4,25,62,571.71/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थी को दिनांक 02.02.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थी द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी मैसर्स ग्रीन टीक (इंडिया), प्रा० लि० के स्वामित्व की फैक्ट्री भूमि व भवन सम्पत्ति सम्पत्ति जी–718, रोड नम्बर 9, एफ–3, रिको इन्डस्ट्रियल एरिया, वीकेआई, जयपुर क्षेत्रफल 3780.29 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक **12.08.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर